आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
	3

15.06.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
नामान्तरण अपील वाद स0–08/2017–18
सुरेश कुमार साहा
बनाम
अंचल अधिकारी, बरहरवा वगै0
आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदन आवेदक सुरेश कुमार साहा, पे0–स्व0 हरिनारायण साहा उर्फ हरिचन्द साहा, सा0–धरमपुर, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामान्तण वाद संख्या 561/2015–16 में दिनांक 17.07.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 09.08.2017 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

इस नामन्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

मौजा	जमाबंदी संख्या	दाग संख्या	रकवा
बटाईल	64	466	04–10–00 धूर
	10	295	02–07–13 धूर

अपीलार्थी अनुपस्थित। उत्तरवादी की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उनके समर्थन में निम्नलिखित कागजात दाखिल किये है। जो निम्न है:–

1. उप न्यायाधीश प्रथम, राजमहल न्यायालय अन्तर्गत वाद संख्या–टी0एस0 83/2013, सुरेश कुमार साहा –बनाम– कलावती देवी वगै0 की सत्यापित प्रति की छाया प्रति।
2. उप न्यायाधीश प्रथम, राजमहल न्यायालय अन्तर्गत वाद संख्या–टी0पी0 सुट संख्या 73/1998 अन्तर्गत सुलहनामा संबंधी आवेदन की छाया प्रति।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भुमि मौजा बटाईल जमाबंदी न0 64 दाग न0 466 कुल रकवा 04–10–00 धूर एवं जमाबंदी न0 10, दाग न0 295 कुल रकवा 02–07–12 धूर जमीन अन्तर्गत क्रमशः 03–00–00 धूर तथा 01–05–00 धूर जमीन उत्तरवादी के द्वारा वर्ष 2015 में नामान्तरण वाद दायर किया गया था।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा बटाईल के ज0न0 64 दाग न0 466 रकवा 04–10–00 धूर तथा जमाबंदी न0 10 दाग न0 295 रकवा 02–07–12 धूर जमीन खतियान में क्रमशः झगडू साहा एवं सखीचंद साहा वगैरह के नाम से दर्ज है। झगडू साहा के तीन पुत्र हुए। तीन पुत्रों के बीच सभी जमीन का बंटवारा आपस में दिनांक 24.02.1978 को बराबर–बराबर हिस्सा में किया गया। तदनुसार दाग न0 466 कुल रकवा 04–10–00 धूर में से प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से 01–10–00 धूर एवं जमाबदी न0 10 दाग न0 295 कुल रकवा 02–07–12 धूर में से प्रत्येक हिस्सेदार को 00–15–17⅓ धूर प्राप्त हुए। अर्थात दोनों दागो में सभी हिस्सेदार अर्थात सखीचंद साह, धन किष्टो साह एवं हरिशचंद साह को बराबर–बराबर रकवा 02–05–17⅓ धूर जमीन प्राप्त हुआ है। झगडू साहा के एक पुत्र धनकिष्टो साहा की तीन पुत्रियाँ यथा कलवाती देवी, सरोज देवी एवं कमला देवी हुई। ब्रजनन्दन साहा को धन किष्टो साहा के मृत्युपरांत उनके तीनो पुत्रियों का मिलने वाली जमीन का पावर ऑफ एटोर्नी बनाया गया है। पावर ऑफ एटोर्नी ब्रजनन्दन साहा ने उक्त जमीन में से दाग न0 466 रकवा 04–10–00 धूर जमीन के स्थान पर 05–00–00 धूर दर्शाकर अंश रकवा 03–0–00 एवं दाग न0 295 में कुल रकवा 02–07–12 अन्तर्गत आंशिक रकवा 01–05–00 धूर अर्थात कुल रकवा 04–05–00 धूर जमीन गुंजा सिंह पति तपन कुमार सिंह, सा0–सब्जीमंडी रोड बरहरवा को निबंधित केवाला सं0–4944 दिनांक 05.10.2009 के द्वारा बिक्री कर दिये। उपरोक्त जमीन की बिक्री की जानकारी होने के पश्चात अपीलार्थी के द्वारा टाईटल सुट न0 83/13 सुरेश कुमार साहा बनाम कलावती देवी एवं अन्य के विरुद्ध माननीय सब जज प्रथम, राजमहल के न्यायालय में दायर किया गया, जो अभी भी न्यायलय में लंबित है। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि विपक्षीगण गुंजा सिंह के द्वारा नामान्तरण के लिए आवेदन तत्कालिन अंचलाधिकारी, बरहरवा के समक्ष दिनांक 05.10.2009 को दाखिल किया गया। उक्त दाखिल आवेदन के विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा आपत्ति आवेदन अंचल अधिकारी, बरहरवा को दिनांक 20.04.

Scanned with CamScanner

2010 को दिया गया। पुनः अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 31.10.2011 को अंचलाधिकारी को पर्टीसन सूट न0 73/98 का हवाला देते हुए न्यायाल के आदेश पारित होने तक नामान्तरण कार्य रोकने हेतु अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि विवादित जमीन को लेकर अपीलार्थी सबजज प्रथम, राजमहल के न्यायालय में दिनांक 10.09.2013 को टी0एस0 न0 83/2013 को आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें कलावती देवी, कमला देवी, सरोज देवी, ब्रजनन्दन साहा एवं गुंजा देवी को पक्षकार बनाया गया। गुंजा देवी के द्वारा पूर्व में दाखिल खारीज आवेदन को न्यायाहित में अंचलाधिकारी, बरहरवा ने दिनांक 16.03.2015 को अस्वीकार करते हुए सक्षम न्यायालय के फैसला तक संबंधित दाखिल खारीज वाद को स्थगित रखने हेतु आदेश दिया गया।

तत्कालीन अंचलाधिकारी, बरहरवा के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद नामान्तरण गुंजा सिंह के नाम से कर दिया गया, जो गलत है। जबकि राजस्व कर्मचारी अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त भूमि विगत 56 वर्ष से अपीलार्थी सुरेश कुमार साहा के पास है तथा सक्षम न्यायालय में 73/98 एवं सब जज प्रथम, राजमहल के न्यायालय में टाईटल सुट न0 83/18 लंबित है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अत में कहना है कि अपीलार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज करने, विवादित भूमि पर विगत 56 वर्षो से सुरेश साहा के पास रहने संबंधी राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन तथा सबजज प्रथम, राजमहल के न्यायालय, टाईटल सुट न0 83/2013 लंबित रहने के बावजूद भी अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा गुंजा सिंह के नाम नामान्तरण का आदेश पारित कर दिया गया। जो न्याय के प्रतिकुल है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामान्तरण [redacted] वाद संख्या 561/2015–16 दिनांक 17.07.2017 को पारित आदेश को अपास्त (Set –a-side) करने का अनुरोध किये है।

उत्तरवादी की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गई है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि इस वाद में मुख्य पक्षकार ब्रजनन्दन साहा, कलावती देवी, सरोज देवी एवं कमला देवी को पक्षकार नही बनाया गया है जो उक्त जमीन के बिक्रेता हैं। मौजा बटाईल जमांबदी न0 64 दाग न0 466 की कुल रकवा 04–10–00 में से 03–00–00 धूर एवं जमाबंदी न0 10, दाग न0 295 कुल रकवा 02–07–12 में से 01–05–00 धूर जमीन विपक्षी क्रम संख्या 5 को बिक्रेता सह पावर ऑफ एटोर्नी ब्रजनन्दन साहा द्वारा निबंधित केवाला संख्या 4944/09 दिनाक 06.10.2009 के द्वारा कुल जमीन 04–05–00 या 142 डीसमील बिक्री किया गया है। जिसमें जमीन बिक्रेता के मुख्तारकर्त्ता कलावती देवी, कमला देवी एवं सरोज देवी के पूर्ण भोग दखल स्वामित्व में था। मौजा बटाईल जमाबंदी न0 64 दाग न0 466 रकवा 04–10–00 धूर जमीन पंजी–II में झगडू साहा के नाम दर्ज है तथा जमाबंदी न0 10 दाग न0 295 रकवा 02–07–13 धूर जमीन झगडू साहा के पुत्र लखीचन्द साहा दीगर के नाम से पंजी–II में दर्ज है। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि झगडू साहा के कुल 39 बीघा जमीन उनके वारिशानो के बीच बराबर–बराबर हिस्से में बांटा गया है। झगडू साहा की वंशावली निम्न प्रकार हैः–

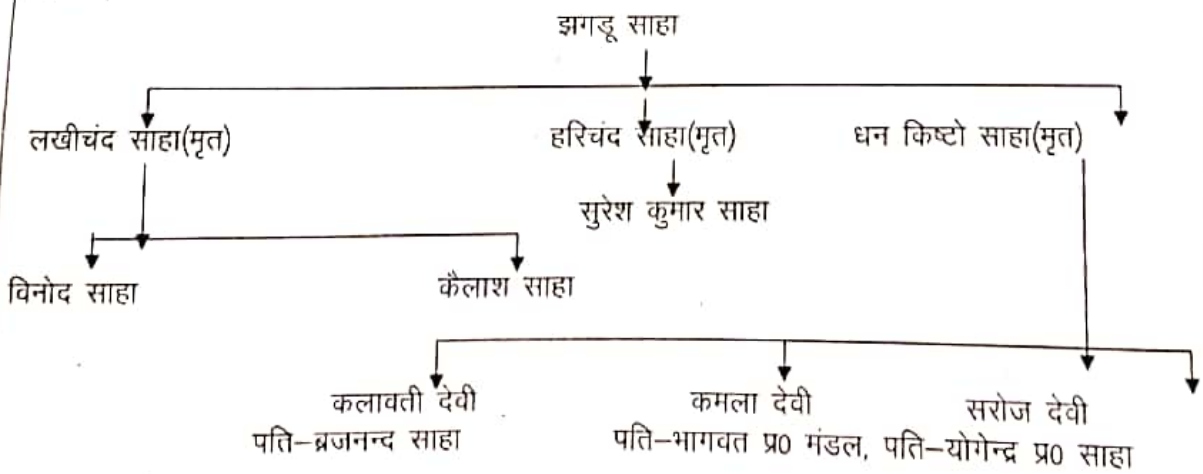

उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी, बिक्रेता एवं अन्य गोतिया के बीच कोई लिखित बंटननामा नही हुआ है। तथा अगर कोई लिखित बंटननामा बनाया गया है तो उस पर किसी प्रकार की सहमति नही बन पायी। फलस्वरुप सहमति के अभाव में अपीलार्थी के द्वारा समर्पित बंटननाम संबंधित कागजात अमान्य है। झगडू साहा की सम्पूर्ण जमीन उनके पुत्रो के बीच मौखिक रुप से एवं भौतिक रुप से

Scanned with CamScanner

कुल जमीन का 1/3–1/3 हिस्से में बंटवारा कर के भोग दखल करते आ रहे है, तथा सभी पक्ष अपने–अपने भौतिक दखल वाली जमीन का बिक्री भी किये है। उपरोक्त वंशावली से स्पष्ट है कि धनकिष्टो साहा की तीन पुत्रिया यथा कलावती देवी, पति ब्रजनन्दन साहा, कमला देवी एवं सरोज देवी है हिन्दु रिति–रिवाज के अनुसार पुत्रियो को बराबर–बराबर जमीन का हक अधिकार मिला हुआ है। धनकिष्टो साहा अपने जीवनकाल में ही अपने तीनो पुत्रियों को जमीन सौंप गये थे। धनकिष्टो साहा के मृत्यु के बाद उनकी पुत्रियो का उक्त जमीन पर हक अधिकार व कब्जा बना हुआ है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि तीनो पुत्रियो द्वारा अपने पावर ऑफ एटोर्नी ब्रजनन्दन साहा के माध्यम से अपने भोग दखल स्वामित्व वाली जमीन जो उसके अश का था, मे से जमीन जमबंदी न0 64, दाग न0 466 कुल रकवा 04–10–00 धूर में से आंशिक रकवा 03 बीघा एवं जमाबंदी न0 10 दाग न0 295 कुल रकवा 02–07–12 मे से आंशिक रकवा 01–05–00 धूर कुल 04–05–00 धूर या 142 डिसमील जमीन गुंजा सिंह को निबंधित केवाला संख्या 4944/09 के द्वारा बिक्री किये है। सथ ही उपरोक्त बिक्री केवाला के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी एवं उनके गोतिया के बीच उनके पिता एवं दादा के समय से ही कुल 39 बीघा जमीन का 1/3 अंश अर्थात 13–13 बीघा कर के सभी पक्षकार भौतिक एवं मौखिक रुप से दखलकार रहे है। एवं अपने अपने अंश का मनचाहा तरीके से जमीन का विक्री किये है। पावर ऑफ एटोर्नी ब्रजनन्द साहा द्वारा जमीन बिक्री किये जाने एवं बाद में भी शेष पक्षो द्वारा जमीन अन्य को भिन्न भिन्न केवाला द्वारा बिक्री किये जाने के पश्चात भी वर्त्तमान में सभी पक्षो का दखल वाली जमीन भी शेष बची हुई है।

अंत में उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जमीन खरीदने के पूर्व बिक्रेता का भौतिक दखल एवं अधिकार को देखकर उक्त जमीन की खरीदगी की गई है। जमीन खरीदने के पश्चात नामान्तरण के लिए अंचल अधिकारी को विधिवत ढंग से आवेदन समर्पित किया है। तत्पश्चात हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के बाद विधिवत ढंग से अंचल अधिकारी द्वारा नामान्तरण किया गया, तत्पश्चात उत्तरवादी के द्वारा लगान रसीद कटाया जा रहा है।

अतएवं उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अपीलार्थी के आवेदन को खारीज करते हुए अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामान्तण वाद संख्या 561/2015–16 में दिनांक 17.17.2015 को पारित आदेश को बहाल रखा जाय।

अंचल अधिकारी, बरहरवा से मूल अभिलेख अप्राप्त।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि यह विवाद स्वत्व एवं अधिकार से संबधित है।

अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

Scanned with CamScanner